

फर्द अहकाम

(नियम 13)

४०

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री...केल(भाबल)

हलका...भूका...वडासिंह

पुत्र श्री...गुलाशोक...जाति...केडावाल

निवासी-भूका...वडासिंह

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 गु.नं..४०../वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
23-12-2020	पटवारी हलका...भूका...वडासिंह ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2077 में मौजा...भूका...वडासिंह के खसरा नंबर 2713 रकबा...150 वर्ग की किस्म भूमि...गुलाशोक...पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलव किया जावे। पत्रावली दिनांक 11-01-2021 को वमुकाम सिणधरी में पेश हों।	
11-01-2021	तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर पत्रावली पेश हुई और सापत्न उपस्थित। पीछली अधिकारी बाणकीश काय देव लौचपुर पंचारे से पत्रावली दिनांक 18-01-2021 को पेश है।	
18-01-2021	पत्रावली पेश हुई और सापत्न उपस्थित। और सापत्न ने जवाब देते सापत्न चाहा कि डिफा जाकर पत्रावली दिनांक 27-01-2021 को पेश है।	

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर



27-1-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर साफल की तरफ से उनके वकील ने उपाधित होकर जवाब देना साफल चाहा जो दिया जाकर पत्रावली दिनांक 10-02-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर

10-2-2021

पत्रावली पेश हुई। पीछलीन अधिकारी आठ डगुटी पर सिवामा पथार है पत्रावली दिनांक 17-2-2021 को पेश है।

10-2-2021

17-2-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर साफल अनुपाधित। गैर साफल को जवाब देना अनिष्ट भवत दिया जाकर पत्रावली दि. 22-2-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर

22-2-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर साफल अनुपाधित। गैर साफल को बार-बार जवाब देना अवतर दिने जाते है उपरान्त भी कोई विधि सम्मत शासन प्रस्तुत नहीं किने, गैर साफल को सतिहमी मानते हुए पत्रावली फैलल सुगार है। निगम अलग से लिखा जाकर शोधिल पत्रावली है। पत्रावली फैलल सुगार होकर डाखिल डफतर है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर